

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (सीएस-1 प्रभाग)
विदेशी/घरेलू दीर्घावधि प्रशिक्षण हेतु संवर्ग निकासी लेने संबंधी प्रपत्र
(इस पर उस मंत्रालय/विभाग/संगठन में प्रशासन के प्रभारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना है जहां अधिकारी कार्यरत है)

1	अधिकारी का नाम और समान वरिष्ठता सूची (सीएसएल) सं.	
2	जन्म की तिथि	
3	धारित वर्तमान पद (क्या नियमित/तदर्थ हैं)	
4	क्या परीवीक्षा पूरी कर ली है, यदि लागू हो तो (हां/नहीं दर्शाएं)	
5	प्रशिक्षण की प्रकृति, जिसके लिए नामित/आवेदन किया है (क) घरेलू दीर्घावधि/अल्पावधि प्रशिक्षण (ख) विदेशी अल्पावधि/दीर्घावधि प्रशिक्षण (टिप्पणी: छह माह तक- अल्पावधि प्रशिक्षण; छह माह और अधिक: दीर्घावधि प्रशिक्षण)	
6	क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की विदेशी प्रशिक्षण की घरेलू निधियन (डीईएफटी) स्कीम के अंतर्गत है	

7 प्रस्तावित प्रशिक्षण का ब्यौरा (घरेलू दीर्घावधि प्रशिक्षण सहित)

अवधि		वह देश जहां प्रशिक्षण आयोजित होना है	प्रशिक्षण आयोजित करने वाला संगठन	प्रशिक्षण का विषय	टिप्पणी
से	तक				

8 पहले भाग लिए जा चुके विदेशी प्रशिक्षण का ब्यौरा

अवधि		वह देश जहां प्रशिक्षण आयोजित होना है	प्रशिक्षण आयोजित करने वाला संगठन	प्रशिक्षण का विषय	टिप्पणी
से	तक				
9	क्या अधिकारी पात्रता शर्तों को पूरा करता है				
10	क्या अधिकारी वर्तमान में किसी संवर्ग-बाह्य पद पर है				
11	क्या अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक मामला लंबित है अथवा अपेक्षित है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें				
12	जिस ग्रेड में अधिकारी कार्यरत है उसमें स्वीकृत पदसंख्या के लिए पदस्थ अधिकारियों से संबंधित सूचना (क) ग्रेड में पदों की कुल संख्या (ख) ग्रेड में तैनात अधिकारियों की संख्या				

(हस्ताक्षर)

नाम:
पदनाम एवं मुहर